बलदेव सिंह आदि बनाम हरदीप सिंह आदि
अन्तर्गत धारा 152 सीपीसी, प्रकरण संख्या 98 सन् 2025

2025/516

तामिल हुकम	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
21.11.2025	आज यह पत्रावली प्रार्थी बलदेव सिंह पुत्र चनन सिंह जाति मजहबी सिख निवासी वार्ड नम्बर 2 केसरीसिंहपुर, तहसील श्रीकरणपुर के द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 152 सीपीसी पेश करने पर पेशी में ली गई। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में निवेदन किया है कि प्रकरण संख्या 06/2025, अनवान बलदेव सिंह आदि बनाम हरदीप सिंह आदि, अन्तर्गत धारा 251ए आरटीए के निर्णय मय आदेश दिनांक 08.09.2025 में सहवन से क्रम संख्या 6 में तहसीलदार श्रीकरणपुर को निर्देश दिये जाते है कि मुरब्बा नम्बर 14 के किला नम्बर 21, 22, 23, 24, 25 व मुरब्बा नम्बर 15 के किला नम्बर 25 की कुल 0.076 हैक्टेयर भूमि की प्रचलित डी.एल.सी. दर का दुगुना प्रतिकर गणना करते हुए प्रस्तावित रास्ते की राशि प्रार्थीगण से वसूलकर हितबद्व अप्रार्थीगण को भुगतान करे, अंकित हो गया है। जबकि अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 को उनके हिस्सा की प्रतिकर राशि का भुगतान किया जा चुका है। अतः माननीय न्यायालय के निर्णय मय आदेश दिनांक 08.09.2025 को दुरूस्त किया जाकर चक 3 यू के मुरब्बा नम्बर 15 के किला नम्बर 25 की कुल 0.0013 हैक्टेयर भूमि की प्रतिकर राशि अप्रार्थी संख्या 5, 6, 7 को दिलाए जाने के आदेश पारित किये जावे। प्रार्थना पत्र की नकल अप्रार्थी अधिवक्ता को दिलाई गई। हमने बहस विद्वान अधिवक्तागण की विस्तारपूर्वक सुनी गई। दौराने बहस अधिवक्तागण ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार कर निर्णय मय आदेश दिनांक 08.09.2025 को दुरूस्त किए जाने का निवेदन किया। हमने प्रार्थीगण अधिवक्ता के प्रार्थना पत्र तथा उसके साथ प्रस्तुत प्रकरण संख्या 06/2025, अनवान बलदेव सिंह आदि बनाम हरदीप सिंह आदि, अन्तर्गत धारा 251ए आरटीए के निर्णय तथा डिक्री का अध्ययन और अवलोकन किया। धारा 152 सीपीसी "निर्णयों, डिक्रियों या आदेशों का संशोधन–निर्णयों, डिक्रियों या आदेशों में की लेखन या गणित संबधी भूले या किसी आकस्मिक भूल या लोप से उसमें हुई गलतियां न्यायालय द्वारा स्वप्रेरणा से या पक्षकारों में से किसी के आवेदन पर किसी भी समय शुद्ध की जा सकेगी" प्रार्थना पत्र 152 सीपीसी में प्रार्थी द्वारा चाहा गया अनुतोष लेखन में भूल होने से हुआ है। अतः हम निर्णय मय आदेश दिनांक 08.09.2025 में क्रम संख्या 6 पर अंकित चक 3 यू के मुरब्बा नम्बर 14 के किला नम्बर 21, 22, 23, 24, 25 व मुरब्बा नम्बर 15 के किला नम्बर 25 की कुल 0.076 हैक्टेयर भूमि की प्रचलित डी.एल.सी. दर का दुगुना प्रतिकर गणना करते हुए प्रस्तावित रास्ते की राशि प्रार्थीगण से वसूलकर हितबद्व अप्रार्थीगण को भुगतान करे, के स्थान पर चक 3 यू के मुरब्बा नम्बर 15 के किला नम्बर 25 की कुल 0.0013 हैक्टेयर भूमि की प्रतिकर राशि प्रार्थीगण से वसूलकर हितबद्व अप्रार्थी संख्या 5, 6, 7 को भुगतान करे, पढे जाने के आदेश दिए जाते है। इस निर्णय के शेष अंकन बदस्तुर रहेगे। संशोधित आदेश जारी हो। प्रार्थना पत्र सामिल पत्रावली रहे। आदेश सुनाया गया। पत्रावली निर्णीत होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर एव पदेन उपखण्ड अधिकारी श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)	